(43)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल (सर्किट कोर्ट रीवा) रीवा (म0प्र0)

प्र. क्रं. ....
R.5062-पी/15

415
18.9.15

छोटा तनय सुखदेव कोल, उम्र 60 साल, सा0 खुझवा सुखदेव सिंह, थाना लौर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

............निगराकार

बनाम

1. कालू तनय गजरूप कोल उम्र 75 वर्ष, सा0 खुझवा सुखदेव सिंह, थाना लौर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)
2. भुल्ला तनय गजरूप कोल मृतक द्वारा उत्तराधिकारी
2(अ) मु. महरनिया बेवा भुल्ला कोल, उम्र 60 साल
2(ब) श्यामलाल तनय भुल्ला कोल, उम्र 30 वर्ष
दोनों सा0 खुझवा सुखदेव सिंह, थाना लौर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

...........गैरनिगराकारगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 13–07–2015 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 142/अ–6/09–10 पारित व प्रसारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

निगरानीकर्ता के द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब, तहसील मऊगंज, के नामान्तरण पंजी क्रमांक 17 में पारित आदेश दिनांक 12–04–1964 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 44(1) म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5062-II/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
25-5-2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक ने राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब तहसील मऊगंज के नामांतरण पंजी कमांक 17 में पारित आदेश दिनांक 12-4-1964 के विरूद्ध अपील 46 वर्ष के विलम्ब से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा विलम्ब माफी के आवेदन पत्र में विलम्ब क्षमा के संबंध में जन तथ्यों का उल्लेख किया गया है वह ठोस समुचित व पर्याप्त आधार सद्भाविक न होने से विलम्ब माफी का आवेदन ग्राह्य किया जाना उचित नहीं माना तथा अपील म्याद अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष उचित है कि क्योंकि 46 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक आदेश की जानकारी न होना विश्वनीय प्रतीत नहीं होता है। विलम्ब का दिनप्रतिदिन समाधानकारक कारण दर्शाये जाने पर विलम्ब क्षमा किया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के0 सी0 जैन) सदस्य	